


प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और  
प्रतिभूमि हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

मु. नं. : 51/2022  
जीसीएमएस नं. 2022/87

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
23-02-2023	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 उपस्थित। अप्रार्थी सं. 2 अनुपस्थित। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ऋणी के विरुद्ध कार्यवाही नहीं चाहते हैं तथा प्रकरण विथड्रॉ करना चाहते हैं। अतः प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण विथड्रॉ करने की स्वीकृती दी जाती है। सरफेसी एक्ट 2002 के तहत वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में कार्यवाही इसी स्टेज पर ड्रॉप की जाती है। पत्रावली फौसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।</p> 	

(प्रकाश चन्द्र शर्मा)  
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट  
बासवाडा (राज.)  
बासवाडा